भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3606

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5

3606. श्री आदित्य यादवः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) पर ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करने वाली केवल 14 प्रतिशत महिलाओं ने सहायता मांगी है और 77 प्रतिशत ने अपनी पीड़ा को अपने तक ही सीमित रखा है; और

(ख) यदि हां, तो यह ध्यान में रखते हुए कि एनएफएचएस जनसंख्या गतिशीलता और स्वास्थ्य संकेतकों के साथ-साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और संबंधित क्षेत्रों में उभरते मुद्दों पर उच्च गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करता है, सरकार द्वारा उठाए गए /उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) लगभग तीन वर्षों की अवधि के साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नामक एक एकीकृत सर्वेक्षण आयोजित करता है। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और संबंधित डोमेन पर डेटा प्रदान करता है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, 18-49 वर्ष की आयु की उन 14.1% महिलाएं जिन्होंने कभी शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है, उन्होंने किसी स्रोत से मदद मांगी है, जबकि 77.2% ने कभी किसी को नहीं बताया।

भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हाल के वर्षों में इसने ठोस प्रयास और महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार के उपायों और पहलों में लैंगिक आधारित हिंसा से निपटने और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने और न्याय की त्वरित डिलीवरी के लिए महिलाओं के जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए 360-डिग्री दृष्टिकोण शामिल है। महिला सुरक्षा उपायों, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने,

महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने और देश भर में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ये पहल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर की जाती हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है और वे ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

(i) दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 के प्रावधानों को और भी कठोर बनाया गया है, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं से बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बलात्कार के मामलों में जांच पूरी करने तथा आरोप पत्र दाखिल करने तथा 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का भी प्रावधान है। ये प्रावधान अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) का हिस्सा हैं।

(ii) तीन नए दंड विधि लागू होने के साथ ही पहली बार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान, जो आईपीसी में बिखरे हुए थे, बीएनएस में एक अध्याय के अंतर्गत लाए गए हैं। विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा करके अथवा पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने आदि के लिए एक नया अपराध शामिल किया गया है। यह प्रावधान महिलाओं को रोकने तथा सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यौन हिंसा के मामलों में संपर्क करने, उनका उपचार करने और उनका दस्तावेजीकरण करने में एक निश्चित सीमा तक एकरूपता लाने के उद्देश्य से "दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल - यौन हिंसा के पीड़ितों/जीवितों की चिकित्सा कानूनी देखभाल" नामक एक दस्तावेज तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल में स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका, चिकित्सा जांच और रिपोर्टिंग, जीवितों/पीड़ितों के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परिचर्या , पुलिस और न्यायपालिका जैसी अन्य एजेंसियों के साथ इंटरफेस के लिए दिशा-निर्देश आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इन दिशा-निर्देशों को देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रदेशों में परिचालित किया गया है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं/परियोजनाओं में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना, महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल-181), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), स्वाधार गृह, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) जो एक अखिल भारतीय एकल नंबर (112) है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

(www.cybercrime.gov.in), सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों प्रदेशों को सहायता, बलात्कार के मामलों और पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष पोक्सो (ई-पोक्सो) अदालतों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना, देश के सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना सरकार ने यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली भी स्थापित की है, जो जांच की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ) भी बनाया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कर्मचारियों को 'स्त्री मनोरक्षा' नामक परियोजना के तहत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) की सेवाएं ली हैं।

इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) और राज्यों में उनके समकक्ष संस्थानों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और महिलाओं से संबंधित कानून आदि के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है।

सरकार की व्यापक पहल महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विधायी सुधारों, तकनीकी प्रगति, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण और जागरूकता कार्यक्रमों को एकीकृत करके, सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों का समाधान करने, न्याय सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। ये प्रयास एक सुरक्षित और समावेशी समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम का संकेत देते हैं जहाँ महिलाएँ बिना किसी डर या भेदभाव के आगे बढ़ सकती हैं।

*****